खट्टर के भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा में गबन की आरोपी डीईओ मुनीष कुर्सी पर कायम है

फरीदाबाद (म.मो.) पिछले कुछ दिनों से जिला शिक्षा अधिकारी मुनीष चौधरी को लेकर काफ़ी बहसें चल रही है, तरह-तरह के तर्क-वितर्क सामने आ रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 14 सितम्बर को उनके विरुद्ध एफआईआर नम्बर 244 थाना सेक्टर 17 में दर्ज कर ली गई है।

इसमें लगाई गई धारायें बहुत ही संगीन हैं। पहली धारा है 201 याख़ूर्द-बूर्द करना, दूसरी धारा है 402, जिसकी व्याख्या की गई है कि कोई डकैती या बड़ा गुनाह करने की योजना बनाने को लेकर जो काम किया जाय। इसके बाद है धारा 420, 467, 468, 471,यानी धोखाधड़ी व फोर्जरी। 506 जान से मारने की धमकी। इसके बाद ज्यादा गंभीर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारायें। धारा 7 व 10 इत्यादि हैं। जिस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है उसका ट्रायल कोई छोटी कोर्ट में नहीं होता सीधे सेशन कोर्ट में ही होता है। इसमें डीएसपी स्तर से कम का कोई अधिकारी तफ्तीश नहीं कर सकता।

इस केस की तफ्तीश एसीपी ओल्ड फरीदाबाद को दी गई है। 14 तारीख को मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी अभी तक अपनी कुर्षी पर कायम है। न केवल कायम हैं धड़ाधड़ काम को खैंच रही हैं।

पता चला है कि पिछले शाल यतीन्द्र शास्त्री नाम के जिस अध्यापक को निलम्बित किया गया था। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने सेहतपुर स्कूल में 70 लाख का कोई निर्माण कार्य किया था। इस कार्य को लेकर कुछ शिकायतें हुई थी। इसकी जांच करने के लिये कुरूक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज का सिविल इंजीनियरिंग विभाग से विशेषज्ञ आये थे। उन्होंने कहा था कि यह बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक नहीं है। इसके बाद शायद दो-चार-छ: महीने पहले वो बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई थी और आदेश दिया गया था कि उस अध्यापक के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाय और उससे रिकवरी की जाय। रिकवरी व मुकदमा तो गये ऐसी-तैसी में, उसे नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। ये प्रक्रिया इस देश में चल रही है।

अब इन महोदया डीईओ मुनीष चौधरी को ऐसा लग रहा कि मेरे खिलाफ, मेरे स्कूल का स्टाफ़ व उनके विभाग के द्वारा षड्यंत्र रच कर फसाया जा रहा है जिसको इन्होंने खतरनाक गैंग का नाम लिया है।

करीब हफ्ते भर पहले इन्होंने मुजेसर के स्कूल में बिजिट किया। वहां इन्होंने न कमरे देखे, न ही शौचालयों की दुर्दशा, न हीं वह जनरेटर देखा जो 10-15 साल से बेकार खड़ा है, ये सब इन्हें नजर नहीं आये। इन्हें सिर्फ नजर आया तो केवल स्कूल के एक साइंस टीचर का कमरा। जिसमें लगे स्मार्ट बोर्ड को उन्होंने अपने पल्ले से खर्च करके काम के लायक बना रखा है। जिसमें विद्यार्थियों को पढाया जा सके और उसमें बच्चों को पढ़ा रहें हैं। इसी बात को लेकर मुनीष चौधरी

ने अध्यापक पर कमरा कब्जाने का आरोप लगाते हुए बकायदा मीमो जारी कर दिया। कोई पूछे इस डीईओ महोदया से कि क्या उस अध्यापक ने उस कमरे में अपना परिवार बसा रखा है या कोई और निजी धंधा चला रखा है? स्कूल के कमरे में, स्कूल के बच्चों को ही तो पढ़ा रहे हैं।

विदित है कि मौजूदा मामला वर्ष 2004-2005 से सम्बन्धित है। उस समय मुनीष चौधरी सर्व शिक्षा अभियान में तैनात थी। उस दौरान सरकार की ओर से 25 लाख 89 हजार रुपये का एक सरकारी चेक मुनीष के पास आया। जिसके द्वारा उन्हें विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिये कई तरह के काम कराने थे। इन्होंने वह चेक सीधे अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करा दिया। इसमें से कुछ रकम भी इन्होंने खर्च कर ली। कुछ माह बाद शिकायतें होने पर इन्होंने पूरी रकम सरकारी खाते में जमा करा दी।

इसके बाद इन्होंने वे फ़र्जी बिल बनाकर पूरी रकम को ठिकाने लगा दिया जिनका आज तक कहीं अता-पता नहीं है। यानी कि रकम आई भी और गई भी लेकिन कहां गई और कहां पर खर्च हुई उसका कोई बही-खाता उपलब्ध नहीं है। सर्वविदित है कि सरकारी पैसे को एक दिन भी अपने निजी खाते में रखना न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है बल्कि संगेय अपराध है। इसी अपराध को लेकर तुरंत मुनीष पर कार्रवाई हो जानी चाहिये थी। लेकिन राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण के चलते मामले को दबा दिया गया।

उस वक्त हुई शिकायतों की जांच पर पर्दा डालने का काम तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त संजय जून ने किया। जिला सर्व शिक्षा अभियान के चेयरमेन होने के नाते जब ये मामला उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने मातहत एक कर्मचारी से रिपोर्ट लेकर मुनीष चौधरी को दोष मुक्त कर दिया था।

शिकायत कर्ताओं ने कहा कि यह जांच गलत हुई है और अगली जांच कराई जाय। जांच के दौर चलते रहे। यहां हर तरफ़ से जांच को दबा दिया गया। सुधी पाठक जो इस बात को समझना चाहें, उनकी सुविधा के लिये उन्हें 'मज़दूर मोर्चा' के न्यूज पोर्टल पर जितनी भी मुनीष चौधरी के खिलाफ़ शिकायतें हुई हैं और जांच रिपोर्ट आई हैं सब अपलोड है। किस अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी और किसने दोषी बताया व किसने निर्दोष बताया ये सभी बातें खुलकर सामने आ जायेगी।

उसके बाद ये जांच विजिलेंस में भी गई। वहां भी दबा दिया गया उसके बाद सीएम बिंडो पर भी घूमती रही। फ़िर मामला लोकायुक्त में गया तो वहां से विभाग में ही जांच हेतु भेज दिया गया। इस दौरान सीएम सेल के लॉ ऑफीसर बुद्धि प्रिया के सामने जब ये केस आया तो उन्होंने इसे विभागीय लेखा-शाखा से इसकी रिपोर्ट मंगवाई जिसमें मुनीष को दोषी ठहराया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज ने एफ़आईआर दर्ज कराई है।

लेकिन ये महोदया शिक्षा अधिकारी अभी भी कह रही है कि, हम तो निर्दोष हैं मुझे फसाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जो दोषी अधिकारी है वह कायम है। यहां यही दर्शाता है कि इनकी राजनीति और अफसरशाही में कितनी गहरी पैठ है, कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अपनी कुर्सी पर कायम है। यही मुकदमा अन्य किसी पर होता तो अभी तक रेल बन जाती, उसके घर पर छापे पर जाते।

'मज़दूर मोर्चा' के जानकारी के अनुसार इस इलाके के 6 में से तीन विधायक सीमा त्रिखा, नरेन्द्र गुप्ता, मूलचंद शर्मा, व सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के समर्थन से इनकी नियुक्ति हुई है और पहले भी जो मंत्री रहे हैं उनकी भी इनके ऊपर ऐसी ही कृपा-दृष्टि बनी रही है जिससे ये अपने गृह जिले में बनी रहीं। कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हो सकता है चार-छ: महीने के लिये कभी पलवल चली गई हों ये अलग बात है। इनकी टीचर से लेकर सारी नौकरी यहीं कायम रही हैं। अभी भी इसी प्रयास में हैं कि कैसे इस मुकदमें को ठंडे बस्ते में डाला जाय। लेकिन अब ठंढे बस्ते में रहने वाला मामला नहीं है।

संदर्भवश पाठक समझ लें कि जिले में चाहे वह शिक्षा विभाग हो, या स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, कोई भी अधिकारी अपने बल-बूते पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जब तक उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न हो। ये इसी से साबित होता है कि कितने राजनीतिक दल बल के साथ यहां मुनीष चौधरी कायम हैं और यही इनकी ताकत है।

अंडरपास में स्कूली बच्चों समेत बस डूबने के बावजूद प्रशासन जागने को तैयार नहीं

फरीदाबाद (म.मो.) मंगलवार 20 सितम्बर को बाद दोपहर जब मानव रचना स्कूल की बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी तो वह बुढ़िया नाले के बगल वाले रेलवे अंडरपास में डूबने लगी तो बच्चों में हाहाकार मच गया। पानी में डूबने की वजह से बस के ऑटोमेटिक दरवाजे भी जाम हो गये। खिड़कियों में से बच्चों का चीत्कार सुनकर राह चलते लोग एकत्र हो गये, पुलिस को भी बुला लिया गया। बड़ी मुश्किल से जैसे-तैसे एक-एक बच्चे को खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला गया।

विदित है कि उस दिन बारिश भी कोई ज्यादा नहीं हुई थी। बरसाती पानी के अलावा उसमें सीवर का पानी पूरे जोर से बह कर आ रहा था। यानी कि बरसाती पानी व सीवर ने मिलकर अंडरपास को डुबो दिया। इसके डूबने का यह कोई पहला मौका नहीं है। प्रत्येक वर्ष यह चार-पांच बार तो अवश्य ही डूबता है। वाहन चालक को इसकी गहराई का अंदाजा न होने के चलते वह इस में फंस जाता है। फंसने के बाद वाहन पीछे भी नहीं हो सकता। कार जैसे छोटे वाहन के तो दरवाजे व शीशे तक भी जाम हो जाते हैं। जान बचाने के लिये सवारियां शीशे तोड़कर बाहर निकल पाते हैं।

ग्रीन फील्ड कॉलोनी को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला यह एक महत्वपूर्ण अंडरपास है। इसके जाम होने से कॉलोनी वासियों को आवागमन के लिये काफी लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है। इस लम्बे चक्कर से बचने के लिये कई बार नये-नये वाहन चालक जोखिम लेकर इसमें फंस जाते हैं। पैदल चलने वाले कई लोग रेल की पटरी पार करते हुए अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। परन्तु शासन-प्रशासन को इन सब बातों से क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री खट्टर खुद कई बार इस समस्या का स्थायी हल खोजने की बात कह चुके हैं, परन्तु परिणाम निल बटा सन्नाटा।

उक्त घटना के बाद दिनांक 22 सितम्बर को हुई बारिश के चलते शहर के तीनों रेलवे अंडरपास पानी से इस कदर लबालब भर गये कि 23 तारीख तक भी इन से आवागमन सुचारू नहीं हो सका। ओल्ड फरीदाबाद वाला अंडरपास में भरा पानी तो पुल की छत को छूने के निकट तक पहुंच गया। ऐसे में एनआईटी की ओर से राजमार्ग की तरफ आवागमन करने वालों के लिये भारी संकट खड़ा हो गया है। पहले जो लोग रेलवे पटरियों को पार कर लेते थे उन्हें रोकने के लिये रेलवे ने अच्छी-खासी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है जिसे टापते हुए पिछले दिनों एक पथिक अपनी जान गंवा बैठा।

शासन-प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद शहर की सड़कें लबाबल

शहर के विकास एवं नागरिकों की सुविधा के लिये जहां पहले 'हूडा' व नगर निगम होते थे, अब इनके साथ-साथ स्मार्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड तथा फ़रीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण जैसे ढकोसले भी खड़े कर दिये गये। इतना ही नहीं एचएसआईआईडीसी (हरियाणा राज्य औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम) को भी यहां खेलने के लिये छोड़ दिया गया है।

अकेले स्मार्ट सिटी कम्पनी द्वारा अभी तक करीब 3000 करोड़ की रकम ठिकाने लगा दिये जाने के बावजूद शहरवासियों को किसी प्रकार की कोई राहत एवं सुविधा मिलती नजर नहीं आई। इस कंपनी के अलावा चार अन्य महकमे भी खुल कर सरकारी धन उड़ाने में लगे हुए हैं जिसकी कोई उपयोगिता नजर नहीं आ रही। आखिर शहरवासियों को चाहिये क्या? साफ़-सुथरी बिना खड्डों वाली अतिक्रमण से मुक्त सड़कें, भरोसेमंद सीवर तथा पेयजल सेवा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन।

हर साल बरसात शुरू होने से पहले नालों की सफ़ाई के नाम पर करोड़ों के टेंडर छोड़ दिये जाते हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी ने तो बाकायदा जल-भराव रोकने के नाम पर कई-कई किलोमीटर लम्बी गहरी नालियां बनाकर छोड़ दी हैं। इन सबके बावजूद जलभराव से शहरवासियों को कोई राहत नहीं। 'हूडा' द्वारा नवनिर्मित तमाम सेक्टरों में बरसाती पानी की निकासी के लिये विशेष चैनल बनाये गये हैं। लेकिन ये चैनल केवल फइलों तक ही सीमित हैं। धरातल पर ऐसे कोई चैनल कार्यरत नही है। बरसाती पानी भी सीवर लाइनों में ही चलता है।

करीब चार वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने शहर में एक हजार रेनवाटर हार्वेस्टर लगाने की घोषणा की थी जिनके द्वारा बरसाती पानी सड़कों पर भरने की बजाय धरती में उतर जाय। लेकिन आज तक ऐसा कोई रेन हार्वेस्टर नहीं बना है। पहले से जो बने हुए थे उनमें एक बूंद भी पानी नीचे नहीं उतर रहा। इसके चलते वर्षा का बेशकिमती पानी किसी काम आने की बजाय जनता के लिये मुसीबत बना हुआ है। सड़कों पर खड़े पानी में से, मजबूरन वाहन जैसे-तैसे निकल तो जाते हैं परन्तु उनमें काफी नुकसान हो जाता है। बरसात के बाद प्रत्येक ऐसे वाहन को औसतन चार-पांच हजार रुपये तो मरम्मत आदि पर खर्च करने पड़ ही जाते हैं। इस सबके बावजूद सरकार इस मामले में अपनी कोई जवाबदेही नहीं समझती।

डीसी ने डीईओ मुनीष को जारी किया नोटिस, भागी छुट्टी पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) गबन व भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में आरोपित डीईओ मुनीष चौधरी को ज़िला उपायुक्त विक्रम यादव ने 20 सितम्बर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपायुक्त द्वारा मांगी गई सूचना एवं नोटिस का जवाब तुरंत देने की बजाय मुनीष ने छुट्टी पर जाकर अपना बचाव करना बेहतर समझा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपायुक्त ने डीईओ मुनीष से 12 सितम्बर को उन स्कूलों की जानकारी मांगी थी, जिनकी इमारतों को तोड़ना था। इसके लिये उन्होंने 19 सितम्बर तक यानी एक सप्ताह का समय दिया था। किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी के लिये इस छोटी सी जानकारी को प्राप्त करने के लिये सात दिन का समय जरूरत से कहीं अधिक है। एक दक्ष एवं कुशल डीईओ को तो यह जानकारी सवत: हर समय ही रखनी चाहिये और किसी उच्चाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हाथों हाथ तुरंत पेश कर देनी चाहिये।

लेकिन नालायक एवं फिसड्डी मुनीष यह जानकारी एक सप्ताह में भी उपायुक्त को न दे पाई। पूछे जाने पर जवाब देती है कि एक अन्य मातहत अधिकारी आनंद सिंह ने उसे पूरी सूची बना कर नहीं दी। क्या ही वाहियात जवाब है! यदि मातहत कर्मचारी ने ही काम करके देना है और उपायुक्त ने ऐसे लोगों से ही उलझना है तो डीईओ के पद पर डेढ लाख मासिक की मुनीष चौधरी को पाल कर रखने की क्या जरूरत है? उपायुक्त ने अपने नोटिस में यह भी लिखा है कि अक्सर देखा गया है वे बैठकों में सदैव आधी-अधूरी रिर्पोटों के साथ आती हैं, जिससे आपकी गंभीर लापरवाही प्रतीत होती है। अंत में लिखा गया है कि वे आज ही यानी 20 सितम्बर को नोटिस का जवाब दें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जाहिर है जिसने कभी काम किया ही न हो और काम करना भी नहीं आता हो तो उसने तुर्त-फुर्त उपायुक्त के नोटिस का क्या जवाब देना था? ऐसे में छुट्टी पर चले जाना ही मुनीष ने अधिक बेहतर समझा। लेकिन, कहावत है कि 'बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी?'

आखिर छुट्टियों पर जाने से तो नौकरी पूरी होने वाली नहीं है। जानकार बताते हैं कि पूर्व उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने मुनीष को धमकाते हुए यहां तक कह दिया था कि वह तो चपरासी के लायक भी नहीं हैं और बनी बैठी हैं डीईओ। उसी समय उन्होंने इसकी रूल 7 के तहत जांच कराने की बात भी कही थी। 'मज़दूर मोर्चा' पहले भी लिख चुका है कि मुख्यालय में बैठे कुछ टुक्कड़खोर अधिकारी तथा स्थानीय एडीसी हर उस अधिकारी को धमका देते थे जो मुनीष को दफ्तर आने व काम करने को कहता। अब मामला फंस गया उपायुक्त के साथ, देखते हैं कि मुनीष के पैरोकार इसे कैसे निपटाते हैं?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।